संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क.प्राविवि / कृषि–ऋण–माफी–9 / संविसं / 2015 / 1132 भोपाल, दिनांक 09–04–2015

महत्वपूर्ण / तत्काल

प्रति,

1. **कलेक्टर (समस्त)**, मध्य प्रदेश
2. **राज्य स्तरीय प्रमुख (समस्त)**, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
3. **राज्य स्तरीय प्रमुख (समस्त)**, निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
4. **अध्यक्ष (समस्त)**, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
5. **प्रबंध संचालक**, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, टी0टी0 नगर, भोपाल।
6. **अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त)**, मध्य प्रदेश

विषयः– रबी वर्ष 2014–15 के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों द्वारा बैंकों से लिये गये अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने हेतु राहत उपाय लागू करने बाबत्।

संदर्भः– 1. भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र क. RBI/2014-15/512 FIDD.No.FSD.BC 52/ 05.10.001/2014-15 दिनांक 25–03–2015।
2. सहकारिता विभाग द्वारा नाबार्ड, मुम्बई को प्रेषित पत्र क. 6997/PA/PS-COOP/2015 दिनांक 24–03–2015।
3. नाबार्ड, भोपाल का पत्र क. NB MP RO BHOPAL/87/PCD 4 (A)Rabi 14-15/2015-16 दिनांक 08–04–2015।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय लागू करने हेतु संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

2/– प्रदेश में रबी वर्ष 2014–15 के दौरान ओला–वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसल का काफी नुकसान हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा होने की दशा में प्रभावित किसानों के अल्प–कालीन फसल ऋण का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाना है। इस हेतु उक्त परिपत्र की कंडिका 5.3 अनुसार, तत्काल जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी0सी0सी0) की बैठक तत्काल आयोजित की जाना होगी जिससे कि प्रभावित किसानों के फसल ऋणों को रिस्ट्रक्चरिंग करने हेतु निर्णय लिया जा सके।

3/– सहकारिता विभाग ने उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 2 से नाबार्ड को यह प्रस्तावित किया गया था कि जिले में कृषक–वार आंकलित फसल की हानि के आधार पर फसल ऋण के रिस्ट्रक्चरिंग हेतु सहमति दी जाये। नाबार्ड ने संदर्भित पत्र कमांक 3 से डी0सी0सी0 के अनुमोदन के आधार पर प्रभावित किसानों के फसल ऋणों को रिस्ट्रक्चरिंग करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है।

4/– अतः, समस्त जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि आपके जिले में किये गये सर्वे के आधार पर प्रभावित किसानों के फसल ऋणों को रिस्ट्रक्चरिंग करने हेतु दिनांक 17 अप्रेल 2015 तक डी0सी0सी0 की विशेष बैठक आयोजित करते हुए निर्णय लिया जाये। साथ ही सहकारिता विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र में कृषक–वार प्रमाण–पत्र जिले में कार्यरत सभी बैंकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि बैंक द्वारा प्रभावित किसानों के फसल ऋण को रिस्ट्रक्चरिंग करने की कार्यवाही की जा सके। अल्प–कालीन फसल ऋण को रिस्ट्रक्चरिंग करने हेतु ऐसे कृषक ही पात्र होंगे जिनकी फसल का उत्पादन सामान्य उत्पादन के 50 प्रतिशत से कम है तथा जिसका आंकलन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है।

5/– अग्रणी जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित पात्र कृषकों के फसल ऋण के रिस्ट्रचरिंग हेतु दिनांक 17 अप्रेल 2015 तक डी0सी0सी0 की बैठक आयोजित करावें तथा प्रभावित किसानों के ऋणों की बैंकों द्वारा की गई रिस्ट्रचरिंग की सतत् समीक्षा की जाये। कोई भी पात्र कृषक रिस्ट्रचरिंग से वंचित नहीं रहे।

6/– समस्त बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख से अपेक्षा है कि अपने अधीनस्थ समस्त शाखा प्रबंधकों को यथोचित निर्देश तत्काल जारी करते हुए अवगत करावें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि/कृषि–ऋण–माफी–9/संविसं/2015/1133 भोपाल, दिनांक 09–04–2015

प्रतिलिपिः–

1. **मुख्य सचिव,** म0प्र0 शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. **अपर मुख्य सचिव,** म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. **कृषि उत्पादन आयुक्त,** मध्य प्रदेश, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. **प्रमुख सचिव,** मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. **प्रमुख सचिव,** मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. **आयुक्त एवं पंजीयक,** सहकारी समितियां, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश।
8. **क्षेत्रीय निदेशक,** भारतीय रिजर्व बैंक, होशंगाबाद रोड़, भोपाल।
9. **मुख्य महाप्रबंधक,** नाबार्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

आयुक्त
संस्थागत वित्त